संख्या-1544/2025/2739/22-2-2023-17(578)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ,दिनांक: 30 दिसम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लक्ष्मी उर्फ झाऊलाल पुत्र श्री बाबू निवासी जनपद-उन्नाव की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-19923/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम०-07.06.2023) दिनांक-16-06-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लक्ष्मी उर्फ झाऊलाल पुत्र श्री बाबू, जो फतेहपुर चौरासी, थाना-फतेहपुर चौरासी, जनपद-उन्नाव का निवासी है। दिनांक 01.02.2004 को हत्या के उद्देश्य से अपहरण कर बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, तमन्चा व गड़ासा से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस0टी0 नं0-170, 372/2004, भा0द0वि0 की धारा-302/34, 364, 201 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-09, कानुपर देहात के आदेश दिनांक 29.05.2013 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। (2) पुनः बंदी को एसटी नं0-42/2005, भा0द0वि0 की धारा-3(1) यू०पी०जी० एक्ट के अन्तर्गत मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-03, रमाबाई नगर द्वारा 02 वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.02.2023 तक अपरिहार 18 वर्ष, 11 माह, 14 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 08 माह, 19 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट उन्नाव द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में पुनः अपराध की सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 01.02.2004 को हत्या के उद्देश्य से अपहरण कर बंदी द्वारा अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, तमन्चा व गड़ासा से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी लक्ष्मी उर्फ झाऊलाल पुत्र श्री बाबू को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लक्ष्मी उर्फ झाऊलाल (बन्दी संख्या-27757) पुत्र श्री बाबू निवासी जनपद-उन्नाव को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1544/2025/2739(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1544/2025/2739/22-2-2023-17(578)/2025

दिनांक: 30 दिसम्बर, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लक्ष्मी उर्फ झाऊलाल पुत्र श्री बाबू, जो फतेहपुर चौरासी, थाना-फतेहपुर चौरासी, जनपद-उन्नाव का निवासी है। दिनांक 01.02.2004 को हत्या के उद्देश्य से अपहरण कर बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, तमन्चा व गड़ासा से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस0टी0 नं0-170, 372/2004, भा0द0वि0 की धारा-302/34, 364, 201 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-09, कानुपर देहात के आदेश दिनांक 29.05.2013 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। (2) पुनः बंदी को एसटी नं0-42/2005, भा0द0वि0 की धारा-3(1) यू०पी०जी० एक्ट के अन्तर्गत मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-03, रमाबाई नगर द्वारा 02 वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.02.2023 तक अपरिहार 18 वर्ष, 11 माह, 14 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 08 माह, 19 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट उन्नाव द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में पुनः अपराध की सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 01.02.2004 को हत्या के उद्देश्य से अपहरण कर बंदी द्वारा अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, तमन्चा व गड़ासा से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी लक्ष्मी उर्फ झाऊलाल पुत्र श्री बाबू को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।